शहरों में 100 दिन के रोजगार का खाका तैयार, मांगने पर 15 दिन में मिलेगा काम

राहत: मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

शहरों में 100 दिन के रोजगार का खाका तैयार,मांगने पर 15 दिन में मिलेगा काम

स्वायत्त शासन विभाग ने मसौदा मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा

पत्रिका स्पॉटलाइट

भवनेश गुप्ता

patrika.com

जयपुर. शहरी बेरोजगारों को जल्द शहर में ही 100 दिन का रोजगार मिलने लगेगा। इन्हें काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मनरेगा की तर्ज पर प्रदेश के शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होने जा रही है।

सरकार ने इसकी कमान स्वायत्त शासन विभाग को सौंपी है। योजना का पूरा खाका तैयार कर मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें परम्परागत जल स्रोतों के रखरखाव से लेकर घर-घर कचरा एकत्रित सहित पर्यावरण संरक्षण के कई काम शामिल हैं। पंजीयन के लिए एक मई से विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी है।

ये होंगे पात्र

- **शहरों में** निवास करने वाला हो। प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु तक के सदस्य।

योजना में ये काम करवाए जाएंगे

- **सार्वजनिक** स्थानों पर पौधरोपण व उद्यान संधारण।
- **फुटपाथ,** डिवाइडर व सार्वजनिक स्थानों पर पौधों रखरखाव।
- **परंपरागत** जल स्रोतों तालाब, टांके, बावड़ी की सफाई व सुधार।
- **रेन** वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई।
- **घरों** से कचरा संग्रहण, डम्पिंग साइट पर कचरे के पृथक्करण का कार्य, शौचालयों व मूत्रालयों की सफाई व रखरखाव।
- **गौशालाओं** में श्रम, निकाय कार्यालयों में कार्य। आवारा पशुओं को पकड़ना।
- **नाला,** नालियों की सफाई, निर्माण कार्य व तोड़फोड़ कार्यों में मलबा हटाने व सीवर से संबंधित कार्य।
- **अतिक्रमण** हटाने, अवैध बोर्ड होर्डिंग्स या बैनर हटाने, सार्वजनिक स्थानों पर पुताई व पेंटिंग।
- **निकायों** की भूमि की सुरक्षा, उस पर चारदीवारी बनाने या तारबंदी करने, पार्किंग स्थल के प्रबंधन व बिजली से संबंधित काम।
- **उद्यानिकी,** कृषि एवं वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य। नहरों का निर्माण व मरम्मत।

योजना का ड्राफ्ट तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। **जोगाराम,** शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

ऐसे होगा पंजीकरण

- **पंजीकरण** के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ निकाय व जोन कार्यालयों और ई-मित्र सेंटरों पर आवेदन का विकल्प।

जिस वार्ड के निवासी, वहीं रोजगार : आवेदक जिस वार्ड या जोन क्षेत्र में रहता है। वहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रवासी भी शामिल होंगे: प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार का विकल्प होगा। 15 दिन का काम पूरा करने के बाद से आगामी पन्द्रह दिन में बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

ये भी शामिल: योजना में अधिकतर वही कार्य हैं, जो शहरी निकायों में संविदा के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक होंगे।